



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234792
CG-DL-E-01042022-234792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944

No. 175]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/CHAITRA 11, 1944

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2022

सं. एन-12/13/01/2019-यो.एवंवि.—जबकि क. रा. बी. निगम कोविड-19 राहत योजना में पात्रता शर्त को शिथिल करने के लिए मसौदा अधिसूचना भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग III - खण्ड-4 (क्रम सं. 81), दिनांक 09.02.2022 को प्रकाशित की गई थी।

और जबकि उक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 09.02.2022 को जनता को उपलब्ध कराई गई थी;

और प्राप्त सुझाव पर विचार किया गया;

अतः अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा दिनांक 24.03.2020 से कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने क. रा. बी. निगम कोविड-19 राहत योजना की पात्रता शर्त की शिथिलता को निम्नानुसार अधिसूचित करता है:-

“मृतक बीमाकृत व्यक्ति को कोविड-19 रोग के निदान की तिथि पर रोजगार में होना चाहिए और कोविड-19 रोग जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई के निदान के ठीक पिछले अधिकतम एक वर्ष की अवधि के दौरान उसके संबंध में कम से कम 35 दिनों के लिये अंशदान का भुगतान किया गया हो अथवा देय हो।”

एस. रविचंद्रन, बीमा आयुक्त (यो.एवंवि.)

[विज्ञापन-III/4/असा./729/2021-22]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2022

No. N-12/13/01/2019-P&D.—Whereas draft notification to provide relaxation in the eligibility condition of ESIC COVID-19 RELIEF SCHEME was published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III – Section - 4 (Sl. No. 81) dated 09.02.2022.

And whereas, the said Gazette notification was made available to the public on 09.02.2022;

And the suggestion received was duly considered;

Now, therefore in exercise of the powers conferred upon it under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby notifies its decision to relax the eligibility condition of ESIC COVID-19 RELIEF SCHEME with effect from 24.03.2020 as under:-

“The deceased Insured Person must have been in employment on the date of diagnosis of COVID-19 disease and contributions for at least 35 days should have been paid or payable in respect of him/her during a period of maximum one year immediately preceding the diagnosis of COVID-19 disease resulting in death.”

S. RAVICHANDRAN, Insurance Commissioner (P&D)

[ADVT.-III/4/Exty./729/2021-22]